न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 18/2021

तजिन्द्र सिंह पुत्र तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 18 टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

1. अंग्रेज सिंह पुत्र हरनेक सिंह
2. तरसेम सिंह पुत्र हरनेक सिंह
3. हरनेक सिंह पुत्र जोरा सिंह

} जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट्स

(2) अपील संख्या 132/2021

आत्मा सिंह पुत्र बिकर सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

1. अंग्रेज सिंह पुत्र हरनेक सिंह
2. तरसेम सिंह पुत्र हरनेक सिंह
3. हरनेक सिंह पुत्र जोरा सिंह

} जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, दिनांक 17.05.2012, प्र. सं. 226/2012

उपस्थितिः–

श्री राजेश दीप राय, अभिभाषक अपीलार्थी, अपील संख्या 18/2021

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी, [illegible] संख्या 132/2021

श्री महेन्द्रपाल सैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या [illegible]

श्री ललित शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 05.08.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 5 जी जी आर के पत्थर नम्बर 206/294 के किला नम्बर 1, 10 से 12 की 1.012 हैक्टेयर, चक 7 जी जी आर के पत्थर नम्बर 203/293 मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 2 से 4, 7 से 9 की 1.392 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 205/294 के किला नम्बर 5, 6, 15 की 0.759 हैक्टेयर में से 0.720 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पक्षकार आपस में पिता–पुत्र है एवं पक्षकारों के मध्य घरू बंटवारा हो चुका है। अतः निवेदन है कि अनुतोष की मद अनुसार दावा डिक्री किया जावे।

2. वाद पेश होने पर पत्रावली दिनांक 12.04.2012 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करने के आदेश दिये। दिनांक 17.05.2012 को वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई एवं दिनांक 15.05.2012 को प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध उपरोक्त दोनों अपीलें पेश हुई है।

3. चूंकि दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 18/2021 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलांट व उसकी बहन का अपने पिता की भूमि में जन्म से हक व हिस्सा बनता है। इसके अलावा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर भी भूमि है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के मध्य हुए घरू बंटवारे में अपीलांट को चक 7 जी जी आर के खाता संख्या 3/61 की 1.265 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है जिस पर कब्जा अपीलांट का है। रेस्पोडेंट संख्या 2 रेस्पोडेंट संख्या 1 के प्रभाव में है। अपीलांट [illegible] भूमि में अपना खर्चा लगाकर इसे उपयोगी बनाया है। [illegible] संख्या 2 व 3 को अपने नाजायज प्रभाव में ले[illegible] करवाई है। खाता संख्या 3/61 में वर्णित 1.265 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को प्राप्त है एवं डिक्री में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के जो आदेश दिये है जिससे अपीलांट प्रभावित है एवं प्रभावित होने के कारण अपील पेश करने की अनुमति बाबत् 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश होने पर पत्रावली मे पेशी 18.05.2012 नियत की गई थी, किन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 15.05.2012 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दुर्भिसन्धि कर रेस्पोडेंट संख्या 3 को मुगालता में रखकर राजीनामा पेश कर दिया। उक्त राजीनामा भी पत्रावली के बिना ही दिनांक 17.05.2012 को तस्दीक किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 3 जो कि अनपढ़ है उसे मुगालता में रखकर उसके नाम दर्ज 0.506 हैक्टेयर भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज करवा डिक्री प्राप्त कर ली। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घरू बंटवारा का कोई दस्तावेज नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर डिक्री पारित करवा ली जिसकी जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 132/2021 में अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपीलांट ने सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादित एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी में मिलीभगत कर वाद का निर्णय करवाया है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जावे एवं मियाद के बिन्दु के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है, जो स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7. अपीलांट द्वारा अपील संख्या 18/2021 में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रमाणित प्रतिलि[illegible] न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक [illegible] डिक्री, इकरारनामा दिनांक 15.02.2010 की प्रमा[illegible] साक्ष्य ग्रहण किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी द्वारा वाद पेश करने पर वाद दर्ज रजिस्टर हुआ एवं पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जो दिनांक 17.05.2012 को तस्दीक किया गया। उक्त राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को डिक्री किया है। राजीनामा के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं हो सकती है। रेस्पोडेंट द्वारा आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। साथ ही कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। राजीनामा के आधार पर जो वाद डिक्री किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

9. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. दोनों ही अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खण्डन अपीलार्थी द्वारा प्रत्युतर पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

11. अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें आदेश दिनांक 17.05.2012 के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 08.02.2021, 03.08.2021 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा प्रत्युतर मय शपथ पत्र पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

12. अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं वे लोक दस्तावेज होने के साथ–साथ लोक सेवक द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 स्वीकार कर बतौर साक्ष्य ग्रहण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

13. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पेश होने पर दिनांक 12.04.2012 को वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को तलब कर पत्रावली पेशी 18.[illegible] नियत की गई। पत्रावली दिनांक 18.05.2012 के स्थान [illegible]7.05.2012 [illegible] हुई जिसमें यह अंकित है कि वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई, किन्तु ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

17.05.2012 को राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री किया गया है। राजीनामा पेश होने की दिनांक 15.05.2012 अंकित है एवं राजीनामा दिनांक 17.05.2012 को तस्दीक किया गया है। पक्षकारों की पहचान वाले अधिवक्ता ने भी राजीनामा की पुश्त पर दिनांक 15.05.2012 अंकित की गई है, जबकि राजीनामा दिनांक 17.05.2012 को तस्दीक किया गया है इससे स्पष्ट है कि जिस दिन राजीनामा पेश हुआ उस दिन तस्दीक न कर दिनांक 17.05.2012 को तस्दीक किया गया है। दिनांक 17.05.2012 को पक्षकार उपस्थित थे या नहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद का निर्णय जल्दबाजी में एवं कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया है। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध में अपना कथन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों ने आपस में मिलीभगत कर तथ्यों को छुपाकर वाद एवं राजीनामा पेश किया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र दो पेशी में ही वाद का निर्णय कर दिया जो हमारे विचार से विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों ही अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2012 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर एवं सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को ध्यान में रखते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णिुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.) — seal)

5/8/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:05 IST
Reason: SelfAttested